भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 516

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

516. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

कुमारी सुधा आरः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत इसके विभिन्न घटकों के अधीन अब तक हुई प्रगति की प्रमुख विशेषताएं और इनका ब्यौरा राज्य-वार क्या है;

(ख) सृजित आजीविका, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों, फेरीवालों को जारी किए गए पहचान पत्रों, बेघरों के लिए बनाए गए आश्रय स्थल की संख्या और लाभार्थियों को जारी किए गए विक्रय प्रमाणपत्रों सहित राज्य-वार तमिलनाडु में जिला-वार विशेषकर संख्या कितनी है;

(ग) डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थियों और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की तमिलनाडु में जिला-वार सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के कवरेज को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कितनी निधि स्वीकृत की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): शहरी विकास सहित शहरी गरीबी उन्मूलन राज्य का विषय है और इसके तहत योजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय "दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है।

इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर मज़बूत संस्थान बनाकर शहरी गरीब परिवारों की आजीविका में स्थायी आधार पर सुधार करने के लिए लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके उनकी गरीबी और असुरक्षा को कम करना है। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं वाले आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा,

मिशन उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करता है।

मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटीएंडपी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार-उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकें या वेतनभोगी रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) घटक शहरी गरीबों के व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों को लाभकारी स्वरोजगार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता पर केंद्रित है। योजना के तहत वास्तविक प्रगति का जिला-वार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

तमिलनाडु सहित राज्यवार सृजित आजीविकाओं, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों, पथ विक्रेताओं को जारी किए गए पहचान पत्र, बेघरों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों और लाभार्थियों को जारी किए गए विक्रय प्रमाणपत्रों की संख्या अनुलग्नक-क में दी गई है। तमिलनाडु सहित राज्यवार डीएवाई-एनयूएलएम के तहत लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या अनुलग्नक-ख में दी गई है।

(घ) कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए, इस योजना की निगरानी केंद्रीय स्तर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री की अध्यक्षता वाली एक शासी परिषद और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर, इसकी निगरानी एक शासी परिषद (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा किया जाता है। शहर/शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर, मिशन की निगरानी नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित रूप से सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित करता है। साथ ही, मिशन के तहत नियमित रूप से जागरूकता अभियानों के माध्यम से आईईसी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

(ड़) पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1.	2021-22	60.50
2.	2022-23	37.63
3.	2023-24	शून्य

******

दिनांक 25 जुलाई, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 516 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - क

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 15.07.2024 तक राज्य-वार वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सृजित आजीविकाओं की संख्या	कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या	बेघर लोगों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों की संख्या	जारी किए गए विक्रय प्रमाणपत्रों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	355	143	676	60	676
2	आंध्र प्रदेश	384556	82546	259897	6510	465813
3	अरुणाचल प्रदेश	3634	4475	5831	0	1285
4	असम	83796	34905	89765	1120	92361
5	बिहार	102098	37351	112912	4069	160095
6	चंडीगढ़	6669	7188	2345	239	10930
7	छत्तीसगढ़	134055	41778	29448	2221	9851
8	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव	0	0	436	0	1853
9	गोवा	8812	6498	1580	138	2688
10	गुजरात	173123	106668	209885	12825	209885
11	हरियाणा	43884	34136	27034	2987	95306
12	हिमाचल प्रदेश	18959	7102	4158	901	6035
13	जम्मू और कश्मीर	27405	5264	6396	100	23695
14	झारखंड	113620	110660	27526	1618	50097
15	कर्नाटक	119831	19131	155282	4053	202170
16	केरल	83546	22367	20460	11791	6880
17	लद्दाख	196	0	427	0	427
18	मध्य प्रदेश	401735	260321	545038	4301	730209
19	महाराष्ट्र	407553	201199	23809	5638	29988
20	मणिपुर	15406	10734	7627	0	13952
21	मेघालय	3539	2600	423	95	253
22	मिजोरम	11161	10733	4929	5243	3214
23	नागालैंड	3268	582	4247	90	4963
24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5770	1921	56422	17035	62333
25	ओडिशा	123195	17026	35,760	2292	24818
26	पुदुचेरी	2965	3194	3474	200	2445
27	पंजाब	81279	74071	48639	4637	170902
28	राजस्थान	151175	51669	82005	11070	28318
29	सिक्किम	708	3294	129	95	351
30	तमिलनाडु	601597	50744	104185	19398	126015
31	तेलंगाना	134105	24484	622328	5567	359865
32	त्रिपुरा	13012	2146	8327	450	8,656
33	उत्तर प्रदेश	359682	219998	611023	10865	949,337
34	उत्तराखंड	29709	20432	19908	1311	21981
35	पश्चिम बंगाल	162583	63865	0	4147	0
	कुल	38,12,981	15,39,225	31,32,331	1,41,066	38,77,647

दिनांक 25 जुलाई, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 516 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - ख

डे-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 15.07.2024 तक राज्य-वार वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गठित किए गए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	रिवाल्विंग फंड दिए गए स्वयं सहायता समूहों की संख्या	कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त कुशल उम्मीदवारों की संख्या	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को संवितरित ऋणों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	118	77	143	0	6	1
2	आंध्र प्रदेश	93367	39606	82546	74182	100622	361222
3	अरुणाचल प्रदेश	709	387	4475	1665	77	13
4	असम	23347	19653	34905	18816	6310	4617
5	बिहार	37452	26401	37351	12945	13809	9377
6	चंडीगढ़	663	531	7188	4285	410	0
7	छतीसगढ	36530	26844	41778	16393	48823	11323
8	गोवा	1323	975	6498	4808	272	8
9	गुजरात	40700	32798	106668	53012	29704	12553
10	हरियाणा	8475	5401	34136	15483	7143	629
11	हिमाचल प्रदेश	4876	4583	7102	3881	3871	963
12	जम्मू और कश्मीर	4464	1922	5264	1538	16355	128
13	झारखंड	23612	17348	110660	51601	12002	3507
14	कर्नाटक	41006	23992	19131	1732	25681	3953
15	केरल	26206	35217	22367	16825	14110	39606
16	लद्दाख	58	37	0	0	22	0
17	मध्य प्रदेश	65790	35685	260321	164759	91453	18351
18	महाराष्ट्र	112320	88176	201199	106003	63559	55476
19	मणिपुर	3415	2177	10734	9664	161	54
20	मेघालय	474	184	2600	2101	149	5
21	मिजोरम	1425	1694	10733	5136	2604	236
22	नागालैंड	661	153	582	570	427	0
23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1266	234	1921	776	1209	1
24	ओडिशा	40689	24556	17026	4475	44577	16549
25	पुदुचेरी	1044	975	3194	406	612	802
26	पंजाब	11137	3979	74071	48170	12035	94
27	राजस्थान	35402	26139	51669	23589	32607	3301
28	सिक्किम	120	72	3294	340	35	0
29	तमिलनाडु	139297	101170	50744	44954	301017	95599
30	तेलंगाना	49663	14444	24484	17437	15821	118264
31	त्रिपुरा	5239	4558	2146	783	2060	2346
32	उत्तर प्रदेश	72149	41480	219998	120744	87041	9775
33	उत्तराखंड	4268	3130	20432	9815	9196	443
34	पश्चिम बंगाल	68112	73837	63865	25264	14210	42064
	कुल	9,55,377	6,58,415	15,39,225	8,62,152	9,57,990	8,11,253